सलग्नक – 2.2 A

संख्या 2998 / लो0नि0-2/01-15(100 …)/ 2004

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रमुख मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक … 2004

विषय: वित्तीय वर्ष 2003 2004 में 100 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं … की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आपके … उपलब्ध कराये गये 180 (एक सौ अस्सी) कार्यों के आगणनों लागत रु0 13550.66लाख के आगणन पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी गयी धनराशि रु0 13234.46 लाख (रु0 एक सौ बत्तीस करोड़ चौंतीस लाख छियालीस हजार …) की लागत केआगणन … उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति … विवरणानुसार कुल रु0 27 … वर्तमान वित्तीय वर्ष में संलग्न सूची के कालम 6 में उल्लिखित विवरणानुसार … की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए … (…सत्ताईस लाख अस्सी हजार मात्र) … करते हैं।

… में … अंकित दरों का निरूपण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता … स्वीकृत / अनुमोदित … बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार … आप … में स्वीकृत नहीं है, अथवा … पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की … होगा। कार्य आरम्भ करने से पूर्व … के आधार पर की जाय। कार्य आरम्भ करने … दरों को जो दरें … अनुमोदन आवश्यक … नियमानुसार अथवा वरीयता … अधीक्षण अभियन्ता … भूमि का … नियमानुसार … कार्यवाही की … सुनिश्चित कर … प्राप्त कर लिया जायेगा। … गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी … पूर्ण भूमि की … आगणन / … कार्य आरम्भ न किया जाय।

… कराने से पूर्व … आतिरिक्त स्वीकृति … स्वीकृत कार्य है, स्वीकृत … से अधिक …

… आतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। … किया जाय जितना कि स्वीकृत … कार्य पर उतना ही … गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधि… … न किया जाय।

उपर्युक्त प्राविधान का … करने से पूर्व वि… आगणन …
… से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः/

छायाप्रति सत्यापित

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत

सहायक अभियन्ता तृतीय मुख्यालय – रामनगर
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
रानीखेत

संलग्नक 2.2B

30

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का उच्च अधिकारियों एवं गुणवत्ता के साथ भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो, तो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस [illegible] का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय।

13. इस कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–2004 में अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय– 04– जिला तथा अन्य सड़कें – आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–राज्य सेक्टर –02–नया निर्माण कार्य–24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या:2996 / वित्त अनुभाग–3/ 2003 दिनांक:27 फरवरी,, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :– 100 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(डी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।
क्रमश3/–

Foto copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत (अल्मोड़ा)

छायाप्रति सत्यापित

सत्य प्रतिलिपि
सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत
मुख्यालय – रामनगर

सहायक अभियन्ता तृतीय
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

संलग्नक 2.2C

31

-2-

	12मी.सेतु			
सौनिटिया–कुनलाखेत मोटर मार्ग का विस्तार।	5.00	69.50	69.50	0.10
भिक्यासैंण–पुनसार [illegible] मार्ग को मो. मार्ग में परिवर्तित करना	2.00	10.80	7.00	0.05
[illegible]–गैरखेत मोटर मार्ग के किमी.2 से 12 के कुल 10.20 किमी. सोलिंग से लेपन का कार्य	10.20	102.00	149.40	0.30
भिक्यासैंण–[illegible] मोटर मार्ग का पुनः निर्माण / सुधार।	14.20	137.20	137.20	0.25
[illegible] स्याल्दे [illegible] मोटर मार्ग का नवनिर्माण	15.00	200.50	208.50	0.30
[illegible]–सलकुला में [illegible] नदी पर 80 मी० स्पान स्टील गर्डर पुल।	80 मी०	149.58	145.00	0.25
[illegible] महादेव –[illegible] –भिक्यासैंण [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण।	40.00	556.00	556.00	0.50
[illegible]खेत [illegible] –[illegible]–[illegible]–[illegible] मोटर मार्ग का विस्तार	6.00	83.40	83.40	[illegible]
[illegible]खेत [illegible] पटेला [illegible] मोटर मार्ग निर्माण।	5.00	69.50	69.50	0.10
[illegible] विकास खण्ड [illegible] से [illegible] से [illegible] से [illegible] तक मोटर मार्ग का [illegible] निर्माण।	15.00	200.50	200.50	0.30
[illegible] से [illegible] से अम्बेडकर गाँव [illegible] सल्ला [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग निर्माण (एस.सी.पी.) S. C. P.	15.00	200.50	208.50	0.30
[illegible] मार्ग का पुनः निर्माण	1.00	15.30	15.30	0.05
[illegible] मोटर मार्ग का सुधार एवं पुनर्निर्माण	1.00	15.30	15.30	0.05
[illegible] मोटर मार्ग का निर्माण	1.50	15.00	27.00	0.05
[illegible] कालेज सम्पर्क मार्ग 12 मी स्पान पुल एवं [illegible] मार्ग।	12.00 मी० स्पान	14.00	12.00	0.05
[illegible] से [illegible] रोड तक 5.5मी. [illegible] में पुल निर्माण का कार्य।	400 मी.	7.00	7.00	[illegible]
[illegible]पुर से [illegible]पुर –[illegible]पुर व [illegible]पुर – [illegible] –[illegible]पुर तक [illegible] निर्माण कार्य	1.70	21.42	21.42	0.05
[illegible] मार्ग के किमी.7.0 का सुधार एवं पुनर्निर्माण कार्य।	2.00	22.70	22.70	0.05
[illegible] में सी.सी.मार्ग एवं नाली का निर्माण।	0.500	11.83	10.09	0.05
[illegible] आबादी [illegible] में सी.सी. मार्ग व नाली का निर्माण।	0.300	7.10	6.00	0.05
[illegible] में सी.सी.मार्ग व नाली	0.300	7.10	6.00	0.05

छायाप्रति प्रमाणित

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता तृतीय
[illegible] लो० नि० वि०

सहायक अभियन्ता चतुर्थ।
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत
मुख्यालय – रामनगर